# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
## जिला चित्तौड़गढ
### पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/72/2022 दायर दिनांक 09.11.2022

उनवान

1. जगदीशचन्द्र पिता स्व0 मिठुलाल जाति तेली आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——प्रार्थीगण

वनाम

1. जमनादेवी पत्नी स्व0 मिठुलाल जाति तेली आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. भूमिधारी तहसीलदार एवं उपपंजीयक अधिकारी पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——अप्रार्थीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 :—

बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 20.03.2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन के खाता संख्या 446 में स्थित आराजी संख्या 6113 रकबा 0.67 हैक्ट0, आराजी संख्या 6114 रकबा 0.25 हैक्ट0, आराजी संख्या 6115 रकबा 0.03 हैक्ट0, आराजी संख्या 6116 रकबा 0.92 हैक्ट0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.87 हैक्ट0 स्थित है उक्त आराजीयात में मुझ प्रार्थी का 1/15 हिस्सा तथा मेरे भाई भैरूलाल तथा मेरी बहिन रतनदेवी व सन्तोष देवी का क्रमशः 1/15 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है स्व0 मिठुलाल जी के हम तीन पुत्र मैं प्रार्थी जगदीशचन्द्र व मेरा भाई भैरूलाल है तथा पुत्रियां रतनदेवी व सन्तोप देवी है तथा मुझ प्रार्थी की माता जमना देवी होकर मेरी माता के नाम 1/15 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है उक्त आराजीयात मौरूसी मिल्कीयत की होकर मिठुलाल जी को उनके पिता से प्राप्त हुई तथा मिठुलाल के फोत होने के बाद भाई व बहिनो तथा मेरी माता जमना देवी के नाम नामान्तरकरण खुला इस प्रकार उक्त आराजीयात मौरूसी मिल्कीयत की होकर जन्म से मुझ प्रार्थी का हक व हिस्सा मेरी माता की आराजीयात में निहित हो गया है।

यह कि उक्त जायदाद मौरूसी मिल्कीयत की होकर उक्त आराजीयात को मेरी माता गैर व्यक्ति को विक्रय करने में आमादा है मेरी माता की उम्र 75 वर्ष होकर सोचने समझने की पूर्ण क्षमता नहीं है तथा मेरा भाई भैरूलाल मेरी माता को बहला फुसला कर मौरूसी आराजीयात को विक्रय कर अकेले राशि हडपना चाहता है तथा मुझ प्रार्थी को मौरूसी आराजीयात से मेहरूम रखने के लिये सारा कृत्य किया जा रहा है।

यह कि दिनांक 17.10.2022 को मुझ प्रार्थी को जानकारी मिली की मेरी माता को मेरा भाई कपासन लोकर गैर व्यक्ति के नाम विक्रय का इकरार नामा निष्पादित करा रहा है मैं अदालत कपासन आया तो मेरी माता को लेकर मेरा भाई टाईपिस्ट के पास बैठा था तथा गैर व्यक्ति के नाम विक्रय का इकरार निष्पादित किया जा रहा था तथा मेरे आने पर सारे दस्तावेज छुपा दिये तथा मुझ प्रार्थी को धमकी दी कि आराजी की रजिस्ट्री गैर व्यक्ति को कर देगे तथा विक्रय कर राशि ले लेगे तुझे कुछ नहीं मिलने देगे इस प्रकार मेरी माता जमना देवी के नाम आराजीयात से मुझे मेहरूम रखने में आमादा है जबकि उक्त आराजीयात पर मुझ प्रार्थी का कब्जा होकर मेरी माता बुजुर्ग होने से मेरी माता का 1/15 हिस्सा मेरे द्वारा काश्त की जा रही है तथा उपयोग उपभोग में है तथा प्रार्थी का कब्जा है। विक्रय की धमकी के चलते मौरूसी आराजीयात के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत् प्रार्थना पत्र पेश है।

यह कि अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्षप्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमाया जाना आवश्यक है वादगत आराजीयात की किसी अनजान व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया तो प्रार्थी को अपार

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

नुकसान होगा जिसका भरपाया भविष्य में नही हो पायेगा इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्षप्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमाया जाना आवश्यक है।

अन्त में प्रार्थना की कि–

–प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या दो में अंकित प्रार्थी की मौरूसी आराजीयात के हक व हिस्से की मौरूसी आराजीयात के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को वह बक्षीस, विक्रय, विक्रयइकरार, दान रहन, नहीं करे राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करे स्वयं ऐसा करे न ही अपने नौकर, एजेन्ट, परिवारजन, एवं अधिनस्थ कर्मचारी से ऐसा करावें।

–यह कि अप्रार्थी संख्या 2 मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं गैर व्यक्ति के नाम वह बक्षीस विक्रय पंजीयन नहीं करने हेतु विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रार्थी के पक्ष में फरमावे। साथ ही न स्वयं ऐसा करे न ही अपने नौकर, एजेन्ट, परिवारजन, एवं अधिनस्थ कर्मचारी से ऐसा करावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन शर्मा का अधिकार पत्र मूल वाद में प्रस्तुत। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत जो निम्नानुसार है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में प्रार्थना पत्र पेश होना स्वीकार है मगर प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर होने से शीघ्र खारिज होगा।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या एक में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात स्थित होना स्वीकार है। संयुक्त खातेदारी होना स्वीकार है मगर प्रार्थी ने अपना हिस्सा 1/15 गलत अंकित किया है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र कॉलम संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी की माता की आयु 75 वर्ष होना स्वीकार है मगर सोचने समझने की पूर्ण क्षमता नहीं होना, भाई भैरूलाल द्वारा माता को बहला फुसला कर मौरूसी आराजीयात को विक्रय कर अकेले राशि हडपना सभी तथ्य मनमकसुद गलत अंकित किये है। प्रार्थी का उक्त आराजीयात में हिस्सा अलग से दर्ज होकर खातेदारी में अंकित है। शेष आराजीयात में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही है। वास्तविकता यह कि प्रार्थी ने भाई अप्रार्थी भैरूलाल को बहला फुसला कर अप्रार्थी भैरूलाल का हिस्सा भी जरिये हक तर्क नामा पंजीयन करा प्रार्थी ने स्वयं के नाम खाते दर्ज करा लिया है। अप्रार्थी संख्या एक मु0 जमनादेवी का हिस्सा भी प्रार्थी हडपना चाहता है इसलिये गलत तथ्यों का अंकन कर प्रार्थना स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है जबकि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी पूर्व से ही दर्ज है। अप्रार्थी संख्या एक जमनादेवी की खातेदारी हिस्से की आराजीयात को अप्रार्थी संख्या एक को विक्रय करने का पूर्ण वैधानिक हक अधिकार है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 गलत होने से स्वीकार नहीं। प्रार्थी अपनी वृद्ध माता अप्रार्थी संख्या 1 से अलग निवास करता है। भाई भैरूलाल अप्रार्थी संख्या 2 की आराजीयात भी जरिये हकतर्कनामा प्रार्थी ने अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली। अप्रार्थी संख्या एक के हिस्से की आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा होना गलत अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या एक के हिस्से की आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या एक व दो का संयुक्त कब्जा है। आराजीयात को विक्रय करने का अप्रार्थी को वैधानिक हक अधिकार है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 5 गलत होने से स्वीकार नही। आराजीयात के विक्रय से प्रार्थी को किसी प्रकार की हानि नहीं है। प्रार्थी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। खातेदारी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 6 गलत होने से स्वीकार नहीं, प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा सन्तुलन किसी प्रकार पक्ष में नहीं है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 7 गलत होने से स्वीकार नही अप्रार्थीगण के विरूद्ध को कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 8 अदालत के विचारणीय है।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 9 अदालत के विचारणीय है।
10. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 10 अदालत के विचारणीय है।
11. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 11 शपथ पत्र प्रार्थी गलत पेश किया है जवाब की पुष्टि में शपथ पत्र पेश है।
12. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 12 प्रार्थना (अ) (ब) प्रार्थी गलत होने से स्वीकार नही। प्रार्थी किसी प्रकार की दाद पाने का अधिकारी नहीं है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला-चित्तौड़गढ़

विशेष कथन :—

1. यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 भैरूलाल को बहला फुसला भैरूलाल का हिस्सा जरिये पंजीकृत हक तर्क नामा करा उक्त आराजीयात का हिस्सा प्रार्थी ने स्वयं के नाम इन्तकाल संख्या 4284 दिनांक 31.10.2022 से खाते दर्ज करा लिया, और अप्रार्थी संख्या 1 की आराजीयात भी उक्त प्रार्थना पत्र से दबाव बना हडपना चाहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध माता जमना देवी का कभी भी भरण पोषण नहीं किया।
2. यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक के हिस्से की आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या एक व दो के कब्जे काश्त होकर अप्रार्थी संख्या एक व दो के कब्जे में है।
3. यह कि खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी की आराजीयात को विक्रय करने का पूर्ण विधिक करने का पूर्ण विधिक हक अधिकार है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि जवाव प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि विवादीत आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है, जिसमें विधिवत वटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थी जमीन को वेचने पर आमादा है। तथा मेरे कब्जे की जमीन वेचने का प्रयास कर रहा है। अतः विना विधिवत बटवारे के बेचान नहीं किया जावे। व अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त **2015(1) RRT 633 'अवतार खां बनाम मेहरवानो व अन्य'** प्रस्तुत किया।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमावन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ—पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में वनता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन के खाता संख्या 446 में स्थित आराजी संख्या 6113 रकवा 0.67 हैक्ट0, आराजी संख्या 6114 रकवा 0.25 हैक्ट0, आराजी संख्या 6115 रकवा 0.03 हैक्ट0, आराजी संख्या 6116 रकवा 0.92 हैक्ट0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.87 हैक्ट0 स्थित है में अप्रार्थी संख्या 1 जमना देवी के नाम दर्ज हिस्से तक अप्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति वनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही के मूल वाद संख्या 123/2022 अनवान जगदीशचन्द्र वनाम जमनादेवी के साथ हम किता रहे। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

(रा[illegible])
सह[illegible]कलेक्टर [illegible]
उपख[illegible] अधिकारी कपासन